

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011  
Tel: 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 1064/नातौ/मी.ओ.क./15

भोपाल दिनांक : 18/02/2015

प्रति,


समस्त उप/सहायक नियंत्रक  
समस्त निरीक्षक,  
नाप तौल (विधिक मापविज्ञान)  
मध्यप्रदेश

विषय :- पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसिंग पंप के डिलीवरी प्रभावित करने के संबंध में ।  
संदर्भ :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4037-38 /नातौ/मी.ओ.क./14 भोपाल  
दिनांक 19/11/2014

---00---

उपरोक्त विषयायंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो । संदर्भित पत्र द्वारा समस्त निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था कि यदि पेट्रोल/डीजल कंपनी के डीलर द्वारा डिस्पेंसिंग पंपों के अगले सत्यापन तिथि के पूर्व किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह पुनः सत्यापन/मुद्रांकन हेतु आपसे अनुरोध किया जाता है तो आप तुरंत सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही नहीं करेंगे बल्कि इसकी सूचना संबंधित उप/सहायक नियंत्रक को देंगे एवं समस्त उप/सहायक नियंत्रकों को निर्देश थे कि यदि किसी खराबी की वजह से सुधार हेतु अनुमति मांगी जाती है तो मशीन में क्या वास्तविक खराबी है इसकी जानकारी कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि से लिखित रूप में प्राप्त कर एवं पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के पश्चात ही पुनः सत्यापन/मुद्रांकन कार्य हेतु सुधार करने की अनुमति प्रदान करेंगे ।

यह देखने में आया है कि कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट सहित निरीक्षकों द्वारा अनुमति मांगे जाने पर भी अनुमति प्रदान करने में देरी की जा रही है जो कि उचित नहीं है । अतः निर्देशित किया जाता है कि यदि कंपनी के फिटर/अधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट सहित निरीक्षकों द्वारा पुनः सत्यापन/मुद्रांकन कार्य हेतु अनुमति मांगी जाती है तो संबंधित उप/सहायक नियंत्रक द्वारा पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में यथोचित कार्यवाही कर निरीक्षक को अवगत करा दिया जावे । यदि पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के पश्चात भी संबंधित उप/सहायक नियंत्रक द्वारा पुनः सत्यापन/मुद्रांकन के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना निरीक्षक को नहीं दी जाती है तो ऐसे प्रकरण में स्वमेव अनुमति मानी जाते हुए निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

  
(एस.के. जैन)  
नियंत्रक  
नाप-तौल म0प्र0 भोपाल